

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी-एफ/3664/सीएम शाखा/शैक्षिक भ्रमण/2018-19/1 दिनांक : 13-08-18

- (1) उपनिदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (समस्त)
- (2) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (समस्त)

विषय : शिक्षा सत्र 2018-19 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण के क्रम में ।


उपर्युक्त विशयान्तर्गत विद्यार्थियों के लिये शैक्षिक भ्रमण के संबंध में योजना एवं वित्तीय प्रावधान राज्य सरकार के पत्रांक प. 1 (17) 9 शिक्षा-1/प्राशि/2010 दिनांक 01.09.2011 के द्वारा स्वीकृत किया गया । इसकी पालना में सत्र 2018-19 के लिए शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का टाईम फ्रेम जारी किया जा रहा है । योजना के अनुसार राजकीय विद्यालयों में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2018-19 में अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण के लिये स्वीकृत प्रावधान के अनुसार, राशि अलग से जारी की जा रही है । अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा तथा सर्किल आर्गनाइजर सीओ स्काउट एवं गाईड (नोडल अधिकारी) को दिया जाता है । कार्यक्रम की क्रियान्विति निम्नानुसार की जानी है :-

क्र.स.	कार्यक्रम	तिथि/अवधि
01.	जिशिअ प्रारं शिक्षा कार्यालय में संस्था प्रधान के माध्यम से छात्र-छात्राओं के आवेदन प्राप्त करना	12.9.2018 तक
02.	जिशिअ प्राशि द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से बरीयता के आधार पर निर्धारित संख्या में छात्र-छात्राओं का चयन कर संबंधित को सूचित करना	28.9.2018 तक
03.	उपनिदेशक द्वारा अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का अनुमोदन करना	8.10.2018 तक
04.	पांच दिवसीय अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण की अवधि	29.10.2018 से 2.11.2018 तक

योजना की क्रियान्वित सुनिश्चित करावें । इसी क्रम में अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के पत्रांक : राप्राशिप/ जय/ औशि/ 2014-15/8519/दिनांक 20.08.14 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने में बरती जाने वाली सावधानियों के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी 28 जुलाई 2014 को जारी किये गये दिशा-निर्देशों (छाया प्रति संलग्न) भी प्रसारित किये जाने हैं, जिनमें संलग्न पत्र के अनुसार **Standard Safety measures** के बिन्दु लिखे हैं । उक्त दिशा-निर्देशों की पालना में किसी प्रकार का लापरवाही नहीं बरती जावे । समय-समय पर कार्यक्रम की प्रगति के बारे में इस कार्यालय को अवगत करवाया जावे तथा शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या आगामी कार्यदिवस में इस कार्यालय को विभाग की ई-मेल आई.डी- shakshikcelledu@gmail.com पर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावे ।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

www.rajteachers.com



श्याम सिंह राजपुरोहित
(आई.ए.एस.)

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा-राजस्थान
बीकानेर


प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

.....निरन्तर पृष्ठ (2) पर

(2)

- (1) राज्य मुख्य आयुक्त, राजस्थान राज्य स्काउट एवं गाईड, राज्य मुख्यालय, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आप अपने स्तर से भी प्रदेश के समस्त सर्किल आर्गनाईजर को निर्देशित करावे ताकि योजना की क्रियान्विति सुचारु रूप से हो सके ।
- (2) उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- (3) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
- (4) निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा ।
- (5) वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त जिलों में योजनानुसार राशि का आबंटन करावे ।
- (6) सहायक लेखाधिकारी योजना/बजट कार्यालय हाजा ।
- (7) सर्किल आर्गनाईजर, सीओ, राजस्थान स्काउट एवं गाईड (समस्त)
- (8) सम्पादक, शिविरा पत्रिका (माध्यमिक शिक्षा) को 7 अतिरिक्त प्रतियों के प्रकाशनार्थ ।

www.rajteachers.com


निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा-राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करने के संबंध में योजना ।

विद्यार्थियों को शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ राज्य के परिवेश, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति ऐतिहासिक स्थल एवं सांस्कृतिक स्थलों की व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध करवाई जानी भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, इस हेतु योजना निम्नानुसार है:-

1. उद्देश्य

1. राज्य के ऐतिहासिक/सांस्कृतिक/प्राकृतिक धरोहरों से परिचित करवाना ।
2. स्थापत्यकला की जानकारी कराना ।
3. विद्यार्थियों को प्राकृतिक धरा का आनंद उठाने का अवसर प्रदान करना ।
4. विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से ओतप्रोत करना ।
5. विद्यार्थियों में पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञान की वृद्धि करना ।

2. शैक्षिक भ्रमण :-

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण एवं विद्यार्थी योग्यता :-

1. राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष दीपावली अवकाश में राज्य के अन्य जिले में 5 दिवसीय राजस्थान दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक भ्रमण हेतु भेजा जायेगा ।

2. योग्यता :-

- राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थी जिन्होंने गत परीक्षा कक्षा 6 व 7 में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो ।
- राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सांस्कृतिक/साहित्यिक/खेलकूद/स्काउट एवं गार्ड प्रतियोगिता में भाग लेकर सहभागी/विजेता रहे हों ।

3. विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या :-

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण-प्रत्येक जिले के 24 विद्यार्थी (कक्षा 7 के 12 व कक्षा 8 के 12) एवं 02 अध्यापक ।

4. मेरिट का निर्धारण-

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए विद्यार्थियों का चयन पूर्णत वस्तुनिष्ठ प्रणाली (objective pattern) के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा ।

(अ) प्रतिभावान (Scholar) के आधार पर जिले की वरीयता से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के 6+6 छात्र कुल 12 (प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय) का चयन होगा ।

(ब) गतिविधियां (Activities) राज्य पुरस्कार/तृतीय सोपान प्राप्त स्काउट एवं गार्ड प्रतियोगिताओं में सहभागिता के आधार पर 12 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा । कुल 24 विद्यार्थियों का दल होगा । चयन हेतु छात्र-छात्रा द्वारा गत परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर गणना की जायेगी ।

5. विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करना एवं चयन प्रक्रिया :-

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जिले में संस्था प्रधान के माध्यम से प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन कर निर्धारित मेरिट प्रक्रिया के द्वारा शैक्षिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों को दीपावली अवकाश के समय राज्य के अन्य जिलो

के लिए ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों पर 5 दिवस के लिए भ्रमण पर भेजा जावेगा ।

6. यात्रा व्यय— विद्यार्थियों की यात्रा का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करेगी । इस हेतु बजट राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा । यह बजट संबंधित नोडल अधिकारी को आवंटित किया जायेगा जो संबंधित दिशा निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पालना करते हुए व्यय करेगा । अध्यापक की यात्रा का संपूर्ण व्यय यात्रा भत्ता नियमों के तहत राजकीय मद से देय होगा । यह विद्यार्थियों के व्यय में सम्मिलित नहीं होगा तथा समस्त लेखे विधिवत संधारित करते हुए व्यय विवरण सहायक लेखाधिकारी योजना एवं लेखाधिकारी बजट प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को नियमानुसार यथासमय प्रस्तुत करेंगे ।
7. नोडल अधिकारी— अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण— जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा तथा सर्किल ऑर्गनाइजर स्काउट/गाइड द्वारा भ्रमण की योजना का निर्माण किया जायेगा तथा अपने जिले में आने वाले दल के भ्रमण तथा आवास आदि की व्यवस्था की जावेगी ।
8. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करने के संबंध में अनुमानित व्यय का विवरण—
(अ) विभिन्न मदों में अनुमानित व्यय हेतु विवरण प्रति विद्यार्थी प्रस्तावित व्यय (रूपयों में)
किराया— 1500/- भोजन—600 अल्पाहार—300/ आवास—500/
स्टेशनरी—200/- अन्य व्यय—186 कुल प्रति विद्यार्थी 3286/-
(ब) प्रतियोगिताओं में प्रथम से तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार राशि निम्नानुसार देय होगी :-
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 350/-
द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 250/-
तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 200/-
9. भ्रमण के दौरान समस्त संभागी विद्यार्थी एवं एस्कोर्ट शिक्षक जिला मुख्यालय पर स्थित स्काउट हैड क्वार्टर पर ठहरेंगे ।
- 10 अध्यापक का चयन—स्काउट/गाइड अध्यापक का प्राथमिकता दी जावेगी ।
- 11.संभाग स्तर पर शिक्षा उपनिदेशक प्रारम्भिक तथा सहायक राज्य संगठन आयुक्त (ए-एस-ओ-सी) यात्राओं का अनुमोदन तथा उनके परिक्षेत्र में आने वाले दलों की यात्रा एवं व्यवस्था का परीक्षक करेगे । व्यय का संपूर्ण समायोजन कर अपने कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी से जांचोपरान्त प्रेषित करेगे । एक जिले के दल व भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारण संबंधित संभाग के उपनिदेशक एवं सहायक राज्य संगठन आयुक्त द्वारा किया जाएगा ।
- 12.भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों की कुछ प्रतियोगिताएँ यथा—भ्रमण आलेख, विचित्र, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ आदि भी आयोजित की जावे तथा प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण भी किया जावेगा ।
- 13.प्रतिवेदन— अन्तर्जिला दर्शन हेतु शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी विधिवत यात्रा वृत्तान्त लिखेंगे, इस हेतु उन्हें एक डायरी एवं एक बॉलपैन उपलब्ध कराया जायेगा । सभी अध्यापक संभागीयों में से किसी एक को मुख्य प्रतिवेदक (Chief Reporter) यात्रा के प्रबंधक नोडल अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा जो यात्रा उपरान्त सभी यात्रा सहभागी अध्यापकों/विद्यार्थियों से उनकी रिपोर्ट प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ।


www.rajteachers.com


निदेशक 13/18
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

शिक्षा सत्र 2018-19 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा हेतु छात्र/छात्रा आवेदन पत्र

(शैक्षिक सत्र 2017-18 की उपलब्धि के आधार पर)

10. छात्र/छात्रा का नाम.....
11. पिता का नाम
12. जन्म तिथि
13. कक्षा (जिसमें अध्ययनरत हैं)
14. विद्यालय का नाम
15. विद्यालय स्कॉलर रजिस्टर क्रमांक
16. घर/पत्र व्यवहार का पता
17. घर का फोन नम्बर मोबाईल नं.....
18. शैक्षिक सत्र 2017-18 में उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण-



कक्षा	कुल अंक	प्राप्तांक	उत्तीर्ण प्रतिशत
कक्षा 6 (कक्षा 7 में अध्ययनरत)			
कक्षा 7 (कक्षा 8 में अध्ययनरत)			

10 शैक्षिक सत्र 2017-18 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
3. राष्ट्र स्तर		
4. राज्य स्तर		

11 शैक्षिक सत्र 2017-18 में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि में सम्भागित्व (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-

स्तर	गतिविधि का नाम	आयोजन स्थल
3. राष्ट्र स्तर		
4. राज्य स्तर		

आवेदन पत्र के साथ मेरे द्वारा आवेदन प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं। आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य पूर्णतया सत्य है। मैं अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण हेतु जाना चाहता/चाहती हूँ।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अभिभावक द्वारा सहमति

मे नाम अपने पुत्र/पुत्री नाम.....
को विभाग द्वारा आयोजित अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण पांच दिवसीय राजस्थान दर्शन यात्रा पर भेजने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। मेरा पुत्र/पुत्री यात्रा हेतु पूर्णतया स्वस्थ है तथा किसी गंभीर रोग से ग्रसित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम अभिभावक

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित

आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं एवं प्रलेखों की सत्यता की जांच स्वयं मेरे द्वारा कर ली गई है। छात्र/छात्रा के अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए अनुशंसा की जाती है।

www.rajteachers.com

(हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय मोहर)



Joint Secretary
 Tele.No. 3888632
 Fax No. 23384306

3283
 6-8-14

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
 शास्त्री भवन,
 नई दिल्ली - 110 115
 GOVERNMENT OF INDIA
 MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
 DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY
 SHASTRI BHAWAN,
 NEW DELHI - 110 115

D.O.No.32-5/2014-RMSA-1

कांग्रेस पत्रिका शासन सचिव July 28, 2014

Dear Sh. Goyal,

स्कूल शिक्षा विभाग
 शासन सचिवालय, जयपुर
 आवृत्ति संख्या PSE/SSS
 दिनांक 5/8/2014

Recent tragedy involving students on study tour has once again underlined the need for putting in place a set of standard safety measures by the institutions that undertake such tours.

2. States have been organising study tours for its students and teachers in schools under various schemes of the States as well as Government of India such as the SSA, RMSA etc. There is a need to ensure basic safety measures before a school embarks on such tours.

3. States are requested to kindly issue appropriate guidelines so that necessary safety measures are in place across all schools. Please find enclosed a set of recommendations on the subject that you may like to consider while formulating the State guidelines.

Yours faithfully,

Yours sincerely,

(श. वि. बायान) विभा.
 साक्षरता विभाग, जयपुर
 प्राप्ति संख्या 3283
 दिनांक 6/8/14

(Radha Chauhan)

DS-1
 4/8
 DS-EEED
 19/76

Shri Pawan Kumar Goyal,
 Principal Secretary,
 Government of Rajasthan,
 Deptt. of Ele., Sec. & Sanskrit Education,
 Room No.209, Govt. Secretariat, C Scheme,
 Jaipur-302 005.



www.rajteachers.com



19/76

14201/1425

A.

27
25

17

Standard safety measures

- (i) The Head of the Institution should ensure that the tour undertaken is required for the benefit of students and is related to the curriculum of the course in which such students are enrolled.
- (ii) The Head of the Institution should ensure issuing security i-cards to all such students and maintain a separate data base of the personal details like guardian/local guardian, home address, mobile, email etc. of such students and the same is carried by the students on his person.
- (iii) The Head of the Institution should ensure that written permission of one of the parents or the local guardian is submitted on behalf of every such student wanting to participate in an educational tour.
- (iv) The Head of the Institution should ensure that there is a senior teacher accompanying the students on such an educational tour. Further, a senior lady teacher should accompany if there are girl students participating in the educational tour.
- (v) The Head of the Institution should ensure that prior permission of the organisation is obtained in advance such educational tours are undertaken.
- (vi) If the tour is undertaken to public places, dam, cities, power plants, sea beaches etc. a written communication must be made to the District Magistrate or concerned authorities.
- (vii) If the educational tour has more than 10 participants, it is necessary to hire a local tour operator who is well aware of the local conditions and can advise accordingly.
- (viii) The Head of the Institution should ensure that an undertaking is taken from every participating student that they would abide by all the rules and also that they have submitted the permission by their parents or local guardian before they participate in the educational tour.
- (ix) The Head of the Institution should also certify in the form of an undertaking that the institute will provide all necessary help in case of emergency or otherwise to all such students who are part of the educational tour.